ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 10, October 2018

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मतदान व्यवहार

Dr. Rajesh Kumar Chauhan

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. College, Bundi, Rajasthan, India

सार

मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीतिक दशा व दिशा तय करता है। मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं।उल्लेखनीय है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है। मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मनःस्थिति से होता है, जिससे प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। यानी मतदान व्यवहार इस बात को इंगित करता है कि लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार एक राजनीतिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।ओइनम कुलाबिधु के अनुसार – "मतदान व्यवहार मतदाताओं का ऐसा व्यवहार होता है, जो उनकी पसंद, वरीयताओं, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों इत्यादि को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये कारक समाज व राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों से संबंधित होते हैं।"दूसरे शब्दों में, मतदान व्यवहार एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है, जिसके तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मतदान करते हैं। यानी मतदान के समय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने वाला मनोभाव, मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान व्यवहार के माध्यम से 'राजनीतिक समाजीकरण' (Political Socialization) की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है।मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति धारणा कैसी है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने में सहायता मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है, तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके द्वारा उठाए जाने वाले चुनावी मुद्दों को पसंद नहीं करता है।मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दों से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव में कुछ चुनावी मुद्दे हर बार लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई इत्यादि मुद्दों के इर्द-गिर्द प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुद्दों से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है, इसीलिए प्रत्येक चुनाव में ये मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा होते हैं।

परिचय

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं, जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारकों का विवरण निम्नानुसार है-

- जाति : भारत की सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। राजनेता के राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में, रजनी कोठारी ने यह कहा भी कि भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत में जातियां राजनीतिकृत हैं।[1,2]
- धर्म : विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनके वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं।
- भाषा : उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में 'भाषा' मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप से, तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
- क्षेत्रवाद : उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। विभिन्न चुनावों के दौरान अनेक राजनेताओं के संबंध में दूसरे राज्यों के लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उस राज्य के लोग किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को वोट न दें। यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।
- मतदाता की आर्थिक स्थिति : ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रूचि लेते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत, निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे, तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।
- राजनीतिक स्थिरता की इच्छा : यदि मतदाताओं को इस बात का आभास हो जाए कि अमुक राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर सकता है और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में, मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने में सक्षम राजनीतिक दल को ही अपना मत देते हैं। यानी यह कारक भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।
- धन की भूमिका : चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से, गरीब देशों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है, जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते हैं और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है।[3,4]
- शिक्षा : शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत, शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनजर मतदान करते हैं। इसके अलावा, आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं।

विचार-विमर्श

चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका

सूचना प्रसार (information dissemination):- चुनाव की घोषणा, नामांकन, जाँच, चुनाव अभियान, सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव कब, कहाँ व कैसे की जानकारी, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा, उम्मीदवारों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति तथा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचनाओं आदि सबको व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की जरुरत होती है और मीडिया ये काम बड़ी ही सहजता से करती है।

यहाँ तक कि अंतिम समय में हुए परिवर्तनों, मतदान आयोजनों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनावी खर्च सीमा का उल्लंघन, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अथवा अशांति आदि की सूचना न केवल आम लोगों को, बल्कि चुनाव आयोग को भी मीडिया से ही मिलती है।

आदर्श आचार संहिता एवं अन्य क़ानूनों के क्रियान्वयन पर नजर रखना:- ये राजनैतिक दलों एवं उसके उम्मीदवारों पर नजर बनाए रखते हैं और किसी भी प्रकार के अनैतिक गतिविधियों एवं लागू नियम-कानूनों की अवहेलना पर तुरंत रिपोर्ट करते है।[5,6]

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 10, October 2018

हालांकि मीडिया को खुद कुछ जरूरी नियम-कानून को मानना पड़ता है और उसी के अनुसार अपना काम पड़ता है। जैसे कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत मीडिया एक्ज़िट पोल तथा परिणामों को प्रथम चरण के चुनाव शुरू होने के पहले और अंतिम चुनाव के सम्पन्न होने के आधा घंटा के बाद तक प्रसारित नहीं कर सकता है।

सरकारी मीडिया की भूमिका:- चुनाव आयोग का प्रसार भारती के साथ अच्छा तालमेल है जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय दलों को निःशुल्क प्रसारण समय प्रदान किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार-प्रसार के मामले में बराबरी के आधार पर लड़ा जा सके। इसके अलावा मतदाता जागरुकता प्रसार में भी प्रसार भारती अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना :- काफी मतदाताओं को चुनाव संबंधी ढेरों समस्याएँ होती है जैसे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, पहचान पत्र, मतदान केंद्र, EVM का उपयोग आदि। हालांकि चुनाव आयोग खुद बड़े पैमाने पर अलग-अलग माध्यमों से इन सब से संबन्धित जागरूकता अभियान चलाता है पर चूंकि मीडिया की पहुँच बहुत ही व्यापक होती है इसीलिए ये एक ही बार में बहुत ही बड़े वर्ग को जागरूक कर पाता है।[7,8]

परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन पंचायती राज व्यवस्था में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों से सम्बन्धित है। इस अध्ययन के लिये बागपत जिले के छपरौली विकास खण्ड के रमाला गाँव को अध्ययन का क्षेत्र चुना गया है। इस अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे- जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद आदि का क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के लिये अध्ययनकत्र्ता ने साक्षात्कार अनुसूची व उद्देश्य पूर्ण देव निर्दशन विधि का प्रयोग किया है और इस अध्ययन के द्वारा अनुसंधानकत्र्ता में पाया कि पंचायती राज व्यवस्था में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने से जाति, धर्म, क्षेत्रवाद आदि का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है और इनमें सबसे ज्यादा प्रभाव जाति व धर्म का पड़ता है। जाति और धर्म ही ऐसे कारक हैं जो मतदान व्यवहार को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

अतः स्पष्ट रूप से यह भी कहा जा सकता है कि जाति व धर्म व्यक्ति की वह स्थिति है, जो उसे मतदान के लिये प्रेरित करता है और जिसके माध्यम से वह अपना मतदान पूर्ण करता है। अतः जाति एवं धर्म मतदाता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।[9,10]

भारत में प्रारम्भिक काल से ही गाँव पंचायत अथवा इसी प्रकार की अन्य नाम से सम्बोधित संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। आदिकाल में ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परम्परागत 'पंच परमेश्वर' से मिली है। अर्थात् परमात्मा पाँच पंचों में बोलता है। इसका अर्थ यह है कि पाँच पंचों का फैसला भगवान का फैसला होता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् तो पंचायतों के पुर्नगठन में विशेष रूचि ली गई है। गाँव की कल्पना सदा एक आत्म-निर्भर स्वायत्त शासनतन्त्र के रूप में की गई है। सदा यह प्रयास रहा है कि गाँव वाले अपने सभी निर्णय स्वयं ले सकें।

पंचायतें ग्रामीण राजनीतिक संस्थाएँ हैं, क्योंकि ये ग्राम स्तर पर शक्ति संरचना से सम्बन्धित है। यद्यपि भारतीय संविधान में पंचायती राज के राजनीतिक संगठन की अलग व्यवस्था नहीं है फिर भी राज्य सरकारों के निर्देशक अधिकारों में पंचायतों के पुर्नगठन की बात कही गई है। ताकि गाँव एक स्वशासित इकाई के रूप में कार्य कर सके।

पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गाँवों का शासन करना है ताकि गाँवों का पुर्ननिर्माण हो सके। राधाकुमुद मुकर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातन्त्र के देवता की संज्ञा दी है। वास्तव में, पंचायती राज का सम्बन्ध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण से है। अतः पंचायती राज को प्रजातंत्रीय राज्य में जनता को उसके कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की एक पद्धति कहा जा सकता है। यह स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्वायत्त शासन के विकास की व्यवस्था है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। ऐसी आशा की गई कि इनसे ग्रामीण समाज को स्वशासन का अवसर प्राप्त होगा। अतः ग्रामीण समाज के विकास के लिए

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 10, October 2018

तथा आर्थिक व अन्य गतिविधियों को प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई, उसी को पंचायती राज कहा जाता है।[2,3]

लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र की संकल्पना को यथार्थ में अस्तित्व प्रदान करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक ठोस कदम ही पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों को स्थानीय शासन कार्यों में अनवरत् रूचि बनी रहती है, क्योंकि वे स्वयं अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। अतः इस अर्थ में पंचायती राज संस्थाऐं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्रदान करती है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर में स्थानीय जन ही कालान्तर में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

चुनाव से सम्बन्धित एक अन्य पहलू मतदान व्यवहार भी है। मतदान व्यवहार एक ऐसा आन्तरिक व बाह्य तत्व है, जिससे प्रभावित होकर पंचायती राज की चुनावी प्रक्रिया में मतदाता भाग लेता है। पंचायती राज के लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चयन प्रक्रिया में मतदाता की पूर्ण एवं स्वेच्छा से भागीदारी हो। इस कारण से पंचायती राज व्यवस्था में मतदान व्यवहार का अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है।[5,6]

समाजशास्त्रीय एवं समाज वैज्ञानिकों व राजनितिज्ञों ने पंचायती राज व्यवस्था एवं मतदान व्यवहार पर अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों में कुछ प्रमुख अध्ययन निम्न प्रकार से हैं-

सुधा पिल्लै (2001) ने अपने लेख पंचायती राज द्वारा अधिकार सम्पन्नता में लिखती है कि संविधान के 73 वें संशोधन में लगभग 10 लाख प्रतिनिधि महिलाऐं त्रि-स्तरीय ढांचे में सदस्य और अध्यक्ष पदों पर कार्यरत् हैं। निश्चित ही इससे हाल तक ठहरे ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। महिला की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है, बल्कि घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारियां सम्भाल पाने की समर्थता के बारे में कई भ्रांतियां भी दूर हो गयी हैं। गाँवों के भीतर धन का बेहतर उपयोग हुआ है। पंचायतों का ध्यान राजनीतिक जोड़-तोड़ से हटकर पेयजल की व्यवस्था स्कूली शिक्षा, रक्षा और साफ-सफाई व ईंधन संबंधी समस्याओं से निपटने की ओर गया है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो क्या देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव है? नहीं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें देश के विकास में पुरुषों के समान भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। क्या समाज तथा राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी को आरक्षण की व्यवस्था द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए कोई और रास्ता भी हो सकता है, जो एक निश्चित अवधि में लड़की के जन्म को अभिशाप न समझने की मानसिकता पैदा करे। शिक्षा और सामाजिक जीवन में बराबर का दर्जा है, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से अथक प्रयास किये गये, परन्तु वे सब निरर्थक साबित हुए। 73 वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इसमें न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें भी आरक्षित की गयी हैं।[8,9]

कमल कृष्ण (1967) ने उत्तर प्रदेश की 40 पंचायतों के चुने हुए नेताओं का अध्ययन किया। उनके अध्ययन का निष्कर्ष नेतृत्व में आंशिक परिवर्तन का संकेत देता है, जो इस प्रकार है-

1. पंचायतों में उच्च जातियों के सदस्य बहुमत में थे।
2. प्रत्येक चुनाव में शिक्षितों की संख्या बढ़ती रही है।
3. मध्यम आय वर्ग का प्रतिनिधित्व उच्च तथा निम्न वर्ग की तुलना में अधिक था।
4. चुनाव में जाति, नातेदारी तथा गुट राजनीति लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती चली आ रही है।

एस॰सी॰ दुबे (1958) ने अपने अध्ययन में भारतीय गाँवों में सत्ता संरचना, स्तर और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन हैदराबाद के शमीरपुर गाँव में करते हैं। उनके अनुसार देश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का असर गाँवों की पद सोपान प्रक्रिया व शासन पर पड़ रहा है, लेकिन लोगों की आधारभूत सोच अभी भी वही है। परिवर्तित होते समय का इतना प्रभाव आवश्यक पड़ रहा है कि उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण नहीं कर रही है, लेकिन वे अभी भी अपनी

IJMRSETM

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 10, October 2018

उच्चता बनाएं रखना चाहती है। निम्न जाति अभी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से सामाजिक दबाव का सामना करती है, लेकिन अब वह अपने प्रति पहले से अच्छा व्यवहार पाती है।

विलेम दि कोस्टर और जेशेन *(2007) ने नीदरलैण्ड के अपने अध्ययन में मतदान व्यवहार के अन्तर्गत यह पाया गया कि इस राजनीतिक एवं सामाजिक शोध के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आने वाली परेशानियों में नैतिक प्रतिष्ठाओं एवं तानाशाही को एक साथ एकत्रित करने के संदर्भ में सामान्य प्रश्न उठते हे। उन दो प्रश्नों में से पहला है कि क्या नैतिक प्रतिष्ठायें धार्मिक विश्वास को प्रमाणित करती है? दूसरा प्रश्न है क्या नैतिक प्रतिष्ठा एवं तानाशाही के बीच पूरी तरह से मजबूत आपसी संबंध स्थापित हो चुके है जो कि मतदान व्यवहार पर अपना प्रभाव डाल रहे है। इस स्थिति के निर्देशन के तात्पर्य से इसके कारण को साबित किया गया है जोकि पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि गैर-प्रतिष्ठित और गैर तानाशाहिक एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे है तथा नेतिक प्रतिष्ठिक एवं तानाशाहिक पूरी तरह से एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं है।[1,2]*

बी°के° बाजपेयी (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिये तथा मत प्रक्रियाओं को जानने के लिए पेपर ही एक ऐसा माध्यम है जो इनके इस कार्य प्रणाली में मतदाताओं को मतदान देने के लिये मतदाताओं के ज्ञान उनका रवैया, उनके सोचने की शक्ति, उनका व्यवहार और कार्य करने का दृष्टिकोण उनके आचरण पर निर्भर करता है। सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं के सामाजिक वर्ग, सामाजिक मतभेद, कार्य करने की प्रणाली एवं परम्परा और उनके ज्ञान स्तर तथा उनके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व एवं क्षेत्र में होने वाले कुछ विभिन्न मतभेदिक मामले में भी पेपर का महत्वूर्ण योगदान है। भविष्य में होने वाले राजनैतिक परिवर्तन, राजनैतिक उपलब्धियों के जानने का रास्ता भी पेपर ही माध्यम है तथा पेपर के द्वारा ही मतदान कार्य प्रणाली को सफलतापूर्वक सम्भावित होने के लिये महत्वपूर्ण स्तर है।

निष्कर्ष

एस°सी° दुबे *(1958) ने अपने अध्ययन में भारतीय गाँवों में सत्ता संरचना, स्तर और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन हैदराबाद के शमीरपुर गाँव में करते हैं। उनके अनुसार देश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का असर गाँवों की पद सोपान प्रक्रिया व शासन पर पड़ रहा है, लेकिन लोगों की आधारभूत सोच अभी भी वही है। परिवर्तित होते समय का इतना प्रभाव आवश्यक पड़ रहा है कि उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण नहीं कर रही है, लेकिन वे अभी भी अपनी उच्चता बनाएं रखना चाहती है। निम्न जाति अभी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से सामाजिक दबाव का सामना करती है, लेकिन अब वह अपने प्रति पहले से अच्छा व्यवहार पाती है।*

विलेम दि कोस्टर और जेशेन *(2007) ने नीदरलैण्ड के अपने अध्ययन में मतदान व्यवहार के अन्तर्गत यह पाया गया कि इस राजनीतिक एवं सामाजिक शोध के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आने वाली परेशानियों में नैतिक प्रतिष्ठाओं एवं तानाशाही को एक साथ एकत्रित करने के संदर्भ में सामान्य प्रश्न उठते हे। उन दो प्रश्नों में से पहला है कि क्या नैतिक प्रतिष्ठायें धार्मिक विश्वास को प्रमाणित करती है? दूसरा प्रश्न है क्या नैतिक प्रतिष्ठा एवं तानाशाही के बीच पूरी तरह से मजबूत आपसी संबंध स्थापित हो चुके है जो कि मतदान व्यवहार पर अपना प्रभाव डाल रहे है। इस स्थिति के निर्देशन के तात्पर्य से इसके कारण को साबित किया गया है जोकि पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि गैर-प्रतिष्ठित और गैर तानाशाहिक एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे है तथा नेतिक प्रतिष्ठिक एवं तानाशाहिक पूरी तरह से एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं है।[10]*

सुधा पिल्लै *(2001) ने अपने लेख पंचायती राज द्वारा अधिकार सम्पन्नता में लिखती है कि संविधान के 73 वें संशोधन में लगभग 10 लाख प्रतिनिधि महिलाऐं त्रि-स्तरीय ढांचे में सदस्य और अध्यक्ष पदों पर कार्यरत् हैं। निश्चित ही इससे हाल तक ठहरे ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। महिला की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है, बल्कि घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारियां सम्भाल पाने की समर्थता के बारे में कई भ्रांतियां भी दूर हो गयी हैं। गाँवों के भीतर धन का बेहतर उपयोग हुआ है। पंचायतों का ध्यान राजनीतिक जोड़-तोड़ से हटकर पेयजल की व्यवस्था स्कूली शिक्षा, रक्षा और साफ-सफाई व ईंधन संबंधी समस्याओं से*

IJMRSETM

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 10, October 2018

निपटने की ओर गया है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो क्या देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव है? नहीं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें देश के विकास में पुरुषों के समान भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। क्या समाज तथा राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी को आरक्षण की व्यवस्था द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए कोई और रास्ता भी हो सकता है, जो एक निश्चित अवधि में लड़की के जन्म को अभिशाप न समझने की मानसिकता पैदा करे। शिक्षा और सामाजिक जीवन में बराबर का दर्जा है, इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से अथक प्रयास किये गये, परन्तु वे सब निरर्थक साबित हुए। 73 वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इसमें न केवल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें भी आरक्षित की गयी हैं।

प्रो° जॉन क्रोसनिक स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी (2016) में मतदान पर अध्ययन किया और अपने अनुसंधान में यह दर्शाया है कि व्यक्तिगण अपने विशेधियों की गलत विशेषताओं पर ज्यादा बल देते हैं। उन्होंने 'नेबसस्का' के 46 व्यक्तियों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन में यह पाया कि व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने वाले लोग अपनी ख्याति ज्यादा बढ़ाते हैं, बजाय उनके जो ज्यादा बढ़-चढ़कर अपनी बात करते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि राजनीति का जो प्रचलन चल रहा है, जैसे-आतंकवादियों की धमकी एवं धार्मिक अस्थिरता आदि मतदाता समूहों के मतदान को प्रभावित कर रहे हैं।

आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर सूचनादाता हिन्दू धर्म, पिछड़े वर्ग जिनकी उपजाति जाट है तथा सबसे अधिक उत्तरदाता पुरुष वर्ग के हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भी गाँवों में पुरुष प्रधानता को महत्व दिया जाता है और वहां बहुसंख्यक वर्ग ही मतदान को प्रभावित करता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे अहम भूमिका जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि का प्रभाव सबसे अधिक पाया गया है। यह प्रभाव ही मतदाता के मतदान को मत देने के लिए प्रभावित करता है।

अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जाति, धर्म, क्षेत्रवाद आदि व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिससे न चाहते हुए भी व्यक्ति प्रभावित हो ही जाता है और उस प्रभाव के आधार पर ही वह अपना मतदान करता है।[10]

संदर्भ

1. *पिल्लै, सुधा (2001): "पंचायती राज द्वारा अधिकारी सम्पन्नता", योजना अगस्त, पृ°* 35-40
2. *कृष्ण, कमल (1994): "ए स्टडी ऑफ़ लिडरशिप इन पंचायती राज", मास्टर्स थीसिस इन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन, नागपुर यूनिवर्सिटी*
3. *दुबे, एस°सी° (1958): "इण्डियाज़ चैंजिंग विलेज" लन्दन रूटलैग एण्ड केगन पॉल लि°*
4. *विलेम डि कोस्टर एण्ड जेरॉन वैन डरवाल (2007): "कल्चरल वैल्यू ओरियन्टेशनस् एण्ड क्रिश्चियन रिलिजियोसिटी ऑन मोरल ट्रेडिश्नलिज्म, औथोरिटेरियनिज्म एण्ड देयर इम्पलिकेशन्स फॉर वोटिंग विहेवियर", इन्टरनेशनल पॉलिटिकल साइन्स रिव्यू, वाल्यूम नं°* 28, *नं°* 4, *पृ°* 451-467
5. *बाजपेयी, बी°के° (2012): "नॉलिज, एटिट्यूड, बिहेवियर एण्ड इलेक्टोरल प्रेक्टिसिस ऑफ़ वोटर्स इन उत्तर प्रदेश", द इण्डियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइन्स, वाल्यूम नं°* 4, (*अक्टूबर-दिसम्बर*), *पृ°* 763-786
6. *प्रो° जॉन क्रोसनिक (2016): "द हिण्डन साईक्लोलॉजी बिहाईन्ड वोटिंग बिहेवियर", स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी*
7. *अग्रवाल, यू°सी° (2004): "उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का बदलता स्वरूप: एक समीक्षा", प्रतियोगिता दर्पण, मई-* 2004
8. *अग्रवाल, प्रमोद कुमार (2011): "भारत में पंचायती राज", डी°पी°बी° पब्लिकेशन्स, चावड़ी बाजार, चौक बादशाह बुल्ला, नई दिल्ली*
9. *महाजन, डॉ. धर्मवीर (1996): "राजनीतिक समाजशास्त्र", जयपुर, पृ°* 205
10. स्टोक्स, डोनाल्ड ई°: "वोटिंग इन डेविड सिल्स (सम्पादित)", वाल्यूम 16, पृ° 387